स्वतंत्रता संग्राम में मुरादाबाद जनपद के प्रमुख सेनानियों का योगदान

09

शिवराज सिंह
शोधार्थी (इतिहास विभाग)
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली

डॉ. किरन त्रिपाठी
शोध निर्देशिका (इतिहास विभाग)
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली
ईमेलः kirantripathi2008@gmail.com

सारांश

स्वतंत्रता आंदोलन में मुरादाबाद जनपद भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जहां कई स्वतंत्रता सेनानियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। 1857 की क्रांति में मुरादाबाद के नवाब मज्जू खान ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, जेल तोड़कर कैदियों को रिहा किया, कोशागार पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी फौज को नैनीताल भागने पर मजबूर कर दिया। मुरादाबाद में क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुले आम विद्रोह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको फांसी, गोली और तोप से उड़ाने तक की सजाएं दी गई थीं। राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों में यहां जनता के एक हिस्से की सक्रिय प्रतिभागिता रही। गांधीजी मुरादाबाद तीन बार आए, इसका भी व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र के निवासियों पर पड़ा। यहां के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में अशफाक हुसैन, बनवारी लाल रहबर, जगन्नाथ सिंघल जगदीश प्रसाद गुप्ता, मोहनलाल गुप्ता आदि प्रमुख हैं।

मुख्य शब्द

मुरादाबाद, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जेल, फांसी, तोप, गांधीजी

भूमिका

1857 की क्रांति से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक किसी न किसी रूप में मुरादाबाद जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 में मुरादाबाद के नवाब मज्जू खां ने भी नेतृत्व किया। मुरादाबाद में गागन नदी के तट पर अंग्रेजी सेना से नवाब मज्जू खां की सेना के साथ– साथ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पड़ोसी रामपुर रियासत के अंग्रेजी सेना की सहायता करने से नवाब मज्जू खां पकड़ लिए गए और सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान मुरादाबाद में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी के भाषण से मुरादाबाद के युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा पुनः जागृत हुई और उन्होंने स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने विभिन्न आंदोलनों– असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन आदि में अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मुरादाबाद में एक बड़ी क्रांति के रूप में उभरा। इसकी शुरुआत जी.आई.सी. मैदान से हुई। आंदोलनकारियों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी सेना तैयार थी। कई जगहों पर क्रांतिकारियों को रोका गया, लेकिन वे आगे बढ़ते ही चले गए। जुलूस का नेतृत्व मोहनलाल एडवोकेट, मकसूद अहमद और साथ में राम अवतार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुकी। फलतः उग्र भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें 6 लोग शहीद हुए तथा सैकड़ों घायल हुए। मुरादाबाद में कई स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियां हुईं। रेलवे स्टेशन, रेती मोहल्ला, मंडी चौक तथा अमरोहा गेट स्थित हिंदू पब्लिक लाइब्रेरी में आंदोलनकारियों की गुप्त बैठकें होती थीं। यहां पर प्रमुख नाम मोहल्ला लोहागढ़ निवासी ह्रदय नारायण खन्ना, छदंम्मी लाल विकल के नेतृत्व में भूरे खां गली का नाम सुनने में आता है। मुरादाबाद के क्रांतिकारी दाऊ दयाल खन्ना महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर देश की आजादी के लिए जेल भी गए। ऐसे ही बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जेल गए तथा विभिन्न यातनाएं सहीं। इनमें हरिशंकर गर्ग, दाऊ दयाल खन्ना, ख्यालीराम शास्त्री, प्रोफेसर रामशरण, ह्रदय नारायण खन्ना, अब्दुल सलाम, गणेश प्रसाद खन्ना, जगन्नाथ सिंघल, चौधरी भारत सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा, मुनि देव त्यागी, जैनुद्दीन, जुगल किशोर शर्मा, ओमप्रकाश गोविल, मास्टर राम कुमार, हाफिज अब्दुल कादिर, मोहम्मद नौशे, सुखलाल आजाद, आदि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम प्रमुख हैं, जिन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा जेल में डाला गया।[1]

हरि शंकर गर्ग

हरिशंकर गर्ग का जन्म 27 सितंबर 1917 को तत्कालीन मुरादाबाद जनपद की तहसील अमरोहा के मोहल्ला बेगम सराय में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय लाला बाबूलाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्य कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जलियांवालाबाग कांड से द्रवित होकर नौकरी छोड़ दी और नगर में कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट 1921–22 में 7 जनवरी 1922 को गिरफ्तार हुए। बरेली, लखनऊ और फैजाबाद की जेल में रहकर 8 जुलाई 1922 को जेल से रिहा हुए। जेल में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, नरदेव शास्त्री, प्रोफेसर रामशरण आदि का साथ रहा। 1930 के दांडी मार्च आंदोलन में भाग लेने के लिए अमरोहा के आसपास के सत्याग्रही लाला बाबूलाल की पाठशाला में ठहरते थे। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक किशोर दल बनाया, जो घर–घर जाकर आटा आदि इकट्ठा किया करता था। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। 1941 के गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने गिरफ्तारी दी। 8 माह की सजा भोगकर 1 नवंबर 1941 को रिहा हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर प्रोफेसर रामशरण, मुनि देव त्यागी, श्रीराम यादव के साथ रहे। हरिशंकर गर्ग की जिम्मेदारी थी कि वह प्रचार सामग्री बंटवाएं व उसके लिए धन संग्रह करें। अमरोहा के डॉक्टर नरोत्तम शरण ने, जो लाला बाबूलाल के साथ जेल में गए, धन देकर इनका पूर्ण सहयोग किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्य मंत्री की हैसियत से जब अमरोहा पधारे तो डॉक्टर साहब के यहां ही रात्रि भोजन किया।[2]

1947 में बंटवारे के बाद एक इंडो पाकिस्तान गुडविल मिशन, जिसमें भीमसेन सच्चर, अब्दुल गनी आदि थे, अमरोहा आया। मिशन हरिशंकर गर्ग के निवास पर ठहरा था। कांग्रेस ने 1937 का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो दिवसीय दौरे पर अमरोहा पधारे। उनका रात्रि विश्राम मोहल्ला कोर्ट के बाबू प्यारे मोहन के मकान पर कराया था। पंडित जी के साथ अमरोहा, रज्जबपुर, गजरौला आदि दौरों पर साथ रहे हरि शंकर गर्ग कई वर्षों तक निरंतर अमरोहा कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। 1954 में स्थाई तौर पर व्यवस्थापक दिल्ली क्लॉथ मिल्स मुरादाबाद में बस गए। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन में भाग लेने लगे एवं विगत 20 वर्षों से निरंतर संगठन के महामंत्री रहे। स्वतंत्रता की 25वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी द्वारा उनको ताम्र पत्र से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मुरादाबाद एवं आयुक्त मुरादाबाद मंडल ने इन्हें अनेक बार सम्मानित किया। स्कूली बच्चे आज भी उनको आजादी की लड़ाई के लिए याद करते हैं।[3]

दाऊ दयाल खन्ना

नंदलाल खन्ना, मोहल्ला अताई, मुरादाबाद, के पुत्र दाऊ दयाल खन्ना 1929 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस के कार्य में जुट गए और आजादी की लड़ाई में सक्रिय हिस्सा लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में 6 माह की साधारण कैद और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में 6 माह की कड़ी कैद तथा[1] 50 जुर्माना और व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत रक्षा कानून की धारा 49 के अंतर्गत इनको 28 सितंबर 1941 से 16 जून 1944 तक नजर बंद करके रखा गया। अताई मोहल्ला स्थित आवास में ही दाऊ दयाल खन्ना की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों की मीटिंग होती थी। यहां से ही आंदोलन के लिए उचित समय तय किया जाता था। 1940 में इन्हें एक वर्ष कैद की सजा फिर से दी गई। 1935 में म्युनिसिपल बोर्ड मुरादाबाद के सदस्य तथा 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1946, 1952, 1962 के आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए।[4]

ख्याली राम शास्त्री

ख्याली राम शास्त्री का जन्म ग्राम व पोस्ट जलालपुर, तत्कालीन मुरादाबाद जनपद की अमरोहा तहसील में हुआ था। इनके पिता साधुराम तथा माता जानकी देवी थीं। इन्होंने शास्त्री तक की शिक्षा ग्रहण की। 1941 में ग्राम मानकजुड़ी थाना डिडौली से सत्याग्रह आंदोलन करके जेल गए। इन्हें कोर्ट उठने तक एक दिन की सजा सुनाई गई। वहां से सीधे घर न लौट कर चौमुखा पुल स्थित कांग्रेस कार्यालय मुरादाबाद से फिर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद, बरेली तथा लखनऊ में सत्याग्रह किया तो तीन माह की सजा और बढ़ा दी गई। शास्त्री जी कैंप जेल से जिला जेल लखनऊ में स्थानांतरित कर दिए गए। लखनऊ जिला जेल में जवाहरलाल नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित के साथ एक माह तीन दिन रहे। पूरी सजा काटकर छूटने के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। मुनि देव त्यागी के साथ भी जेल में रहे। इन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर तीन मास की सजा बढ़ा दी गई। जेल से छूटने के बाद दिल्ली गए। यहां बीजू पटनायक के साथ भूमिगत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में बृज किशोर चांदी वाला, कृष्णा नैयर आदि के साथ दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे। बीजू पटनायक ने 'हमारा संग्राम' नामक पुस्तक हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी, जिसे विदेश में हवाई जहाज से ले जाते थे। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा काटने के बाद सरकार ने फिरोजपुर कैंप जेल में नजरबंद करके भेज दिया। देश के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनने पर फिरोजपुर कैंप जेल से दोनों रिहा किए गए। कुल 4 वर्ष 11 माह की जेल यातना तथा[1] 40 जुर्माना भुगता। 1952 में कांठ निर्वाचन क्षेत्र से विशाल बहुमत के साथ विधायक चुने गए। 1972 में मुरादाबाद पश्चिम से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 1977 के चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा की पार्टी भारतीय क्रांति दल से विधायक चुने गए और 1977–78 में श्री बनारसी दास के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें गृह विभाग मंत्रालय के अंतर्गत होमगार्ड, सिविल डिफेंस का मंत्रीत्व बखूबी निभाया। तत्पश्चात मुरादाबाद में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा आईसीसी और पीसीसी के सदस्य रहकर जन सेवा कार्य किया।[5]

प्रोफेसर रामशरण

मुरादाबाद जनपद के गांधी कहे जाने वाले प्रोफेसर रामशरण का जन्म 1894 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। वह मुरादाबाद के प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी। 1923 में काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के अध्यापक हो गए। उनके शिष्यों में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी, त्रिभुवन नारायण सिंह प्रमुख थे। 1930 में उन्हें मुरादाबाद जिले के सत्याग्रह आश्रम व कांग्रेस का कार्यभार दिया गया तथा 1932 में पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांधी जी के रचनात्मक आंदोलन में खादी प्रचार एवं अछूतोद्धार में उनकी बहुत रुचि थी। हरिजन सेवक संघ मुरादाबाद की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी आश्रम में छह ट्रस्टियों ने भाग लिया और पंडित बनारसी प्रसाद मिश्र को करारी हार दी। 1941 में उन्होंने मुरादाबाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। दो माह की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए तो उनके कंधों पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक डिक्टेटर की जिम्मेदारी आ गई, जिसको उन्होंने बड़ी ईमानदारी और सफलतापूर्वक निभाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह भूमिगत हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रचार करते रहे। हिंसक गतिविधियों को रोकने में असफल होने पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और 3 साल तक जेल में रहे। 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। 1951 से 1961 तक संसद सदस्य के रूप में मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में मृत्यु हो जाने तक समाज सुधार एवं खादी प्रचार जैसे रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे।[6]

हृदय नारायण खन्ना

हृदय नारायण खन्ना का जन्म मुरादाबाद के संभ्रांत जमींदार परिवार में 1908 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मुरादाबाद व आगरा में पूर्ण करने के उपरांत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बनारस में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान वह मदन मोहन मालवीय तथा गांधी जी के संपर्क में आए और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए उनके विचारों से प्रभावित हुए। 1927 में उनका चयन न्यायिक सेवा के लिए हो गया, किंतु स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें इस सेवा से वंचित कर दिया। उन्होंने 1930 में असहयोग आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका के कारण उन्होंने 6 महीने का कठोर कारावास झेला। 1954 से 1970 तक वह जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के अध्यक्ष रहे। 1960 के दशक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। 1954 से 1981 तक वह महानगर की एक ऐतिहासिक धरोहर ब्रज रतन हिंदू पब्लिक लाइब्रेरी मुरादाबाद के ट्रस्टी सेक्रेटरी रहे, जिसके पुनर्निमित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बसंत पंचमी के दिन 1929 में किया गया था।[7]

गणेश प्रसाद खन्ना

गणेश प्रसाद खन्ना पुत्र सेडू मल, निवासी मंडी बांस मुरादाबाद में अपने समय के सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस द्वारा लोगों पर ज्यादतियां की जा रही थीं। मोहल्ला जिलाल में एक जगह पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों, पुलिस वालों से मारपीट हुई और उन्हें मार कर वह साथियों साथ फरार हो गए। इस पर अदालत द्वारा इनका 52 जिलों से गिरफ्तारी वारंट काट दिया गया, जिसके कारण वह अंडरग्राउंड हो गए। अंग्रेजी हुकूमत से बचते बचाते रहे और उनके हाथ नहीं आए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब वह बाहर आए तथा अपनी पार्टी का कार्य करते रहे। उनकी फरारी के समय दाऊ दयाल खन्ना, जुगल किशोर वर्मा, संत शरण आदि उनको निरंतर अपने भवनों में छुपाया करते थे।[8]

जगन्नाथ सिंघल–

जगन्नाथ सिंघल पुत्र मुरारी लाल, निवासी मोहल्ला जिलाल, मंडी चौक मुरादाबाद ने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। नमक सत्याग्रह में सपरिवार भाग लिया। 1928 में कानपुर जाकर चंद्रशेखर आजाद से भेंट की तथा अपने बिस्तर में उनके पत्रों का बंडल छुपाया और उनके द्वारा बताए गए निर्देशित स्थान पर पहुंचा दिया। 1931 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफत संबंधी तीन मुकदमे उन पर चले और डेढ़ वर्ष का कारावास हुआ। पहले मुरादाबाद फिर फैजाबाद जेल में रहे। वहां जेलर का विरोध करने पर एक माह काल कोठरी में रहे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के दर्शन हुए, जो इस जेल में अन्य किसी बैरक में थे। 6 माह के कारावास के बाद गांधी इरविन पैक्ट में रिहा हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत लंबे समय तक अंबाला में भूमिगत रहे। वहीं अस्त्र–शस्त्र संचालन की ट्रेनिंग ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया। मंडी चौक के चौराहे पर अंग्रेजों के होमगार्ड से दाऊ दयाल खन्ना, हरकिशन दास टंडन जैसे साथियों के साथ निहत्थे आमने–सामने मुकाबला किया। यह संपूर्ण वाकया साहू ओंकार शरण ने आंखों देखा हाल के रूप में उनकी पुत्री डॉ मंजुला सिंघल को सुनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया। स्थानीय गांधी पार्क में स्थित शहीद स्मारक में उनका नाम उत्कीर्ण है।[9]

1945 से 1952 तक मुरादाबाद नगर पालिका के सदस्य तथा वॉइस चेयरमैन रहे। गांधी जी की गुप्त सभाओं में भाग लिया। पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब से आए शरणार्थियों के लिए आर्य समाज स्टेशन रोड के बराबर खाली पड़े स्थान पर शरणार्थी कैंप लगवाए, उनके लिए रोटी कपड़ा तथा दवा का भी समुचित प्रबंध किया। आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद में अनाथ बच्चों तथा महिलाओं के लिए अनाथालय की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते मुरादाबाद के नगर निगम ने 31 अक्टूबर 2005 को उनके निवास स्थान के मार्ग का नाम जगन्नाथ सिंघल मार्ग रखा।[10]

चौधरी भारत सिंह–

चौधरी भारत सिंह, चौधरी हरबंस सिंह के इकलौते बेटे महमूदपुर केसा तहसील ठाकुरद्वारा के रहने वाले थे। इसी गांव में रहकर खेती करते थे। उनके माता–पिता की जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी इन पर ही थी। वह पूरी तरह गांधीवादी हो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, जो 1941 में एक नए रूप में उभरा चौधरी भारत सिंह ने इस आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी सदरपुर गांव से दी, 9 माह की सजा 250 रुपए जुर्माना, जुर्माना न दिए जाने पर घर की कुर्की हुई। उज्जैन से छूटने के बाद उन्होंने कांठ में कांग्रेस सेवा दल का प्रांतीय स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगवाया, जो 15 दिन चला। इसका समापन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से करवाया। नेहरू जी कांठ आए और पूरे दिन यहीं रहे। सेवादल कैंप का समापन समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ। यह कांठ के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' प्रस्ताव के पास होने पर कांग्रेसियों की धर पकड़ शुरू हो गई। इनको भी 18 मई 1943 को पुलिस घर से पकड़ कर ले गई और 9 माह तक जेल में रहना पड़ा, परंतु 9 माह तक यह कहां हैं, जीवित भी हैं या नहीं इसका कोई पता नहीं लगने दिया गया। जेल में चौधरी साहब के साथ चौधरी चरण सिंह, डॉ राम मनोहर लोहिया एक ही बैरक में रहते थे। दोनों राष्ट्रीय नेता उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। आजादी मिलने के बाद भी जब तक चौधरी साहब जीवित रहे, कांठ उनसे मिलने आते रहे। स्वतंत्रता मिलने के बाद शरणार्थी समस्या समस्या को हल करने भी चौधरी साहब आगे आए। अपना पूरा गांव महमूदपुर केसा शरणार्थियों को आबंटित कर दिया और लगभग 50 परिवार यहां बसाए।[11]

भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे पदयात्रा करके मुरादाबाद आए तो चौधरी साहब ने उनको 101 बीघा जमीन दान में दी, अपने लिए केवल नवादा की 140 बीघा जमीन रखी। कांठ में भी इनका एक एकड़ का आम का बाग था, जो कांठ के डीएसएम कॉलेज के कृषि फार्म को दान कर दिया। चौधरी साहब कांठ के अधिकांश झगड़े कांठ में ही खत्म कर देते थे। अदालतों में यहां के मुकदमे जाने ही बंद हो गए थे। कांठ की जनता ने इन्हें निर्विरोध कांठ टाउन एरिया का अध्यक्ष चुना, और यह लगातार 24 साल कांठ के निर्विरोध अध्यक्ष रहे।[12]

हरिशचंद्र शर्मा

हरिशचंद्र शर्मा, पुत्र भूप राम, निवासी ग्राम लौंगी खुर्द का जन्म मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के गांव रतुपुरा में 19 सितंबर 1916 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। मुरादाबाद के ख्याली राम शास्त्री, दाऊ दयाल खन्ना, हरिशंकर गर्ग, मुनि देव त्यागी आदि एवं ठाकुरद्वारा तहसील के ही शिव स्वरूप सिंह, चौधरी किशन सिंह, रामपाल सिंह, सुखन सिंह, छज्जू सिंह, गेंदा स्वर्णकार आदि मित्रों की प्रेरणा से तहसील ठाकुरद्वारा के गांव बिलारी के बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देते हुए इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 28 अप्रैल 1939 से दिनांक 1 नवंबर 1941 तक लगभग 6 माह राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहे। 1966 में राज्य के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में विनोबा भावे के भूदान कार्यक्रम में सक्रिय योगदान दिया और गांव लौंगी खुर्द में आधा एकड़ कृषि भूमि दान दे दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्र पत्र भेंट किया। अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण 30 जनवरी 1989 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।[13]

मुनि देव त्यागी

मुनि देव त्यागी, पुत्र चौधरी राम सिंह, ग्राम पोस्ट गंगेश्वरी, थाना आदमपुर तहसील, हसनपुर जिला मुरादाबाद के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त माह में चारों ओर बाढ़ का पानी दूर–दूर तक फैला हुआ था। प्रोफेसर रामशरण गंगेश्वरी में आए थे। पैर में जख्म के कारण वह चलने में असमर्थ थे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संबंध में ही उन्हें शाम तक बरटोरा गांव पहुंचना था। मुनि देव स्वस्थ और पहलवानों जैसे ताकतवर नौजवान थे। उन्होंने प्रोफेसर साहब को अपने कंधे पर बैठाया और कई मील की यात्रा करके बरतोरा गांव पहुंचाया और अगले दिन इसी प्रकार उनको गंगा नदी के फरीदा घाट पर नाव में बैठा कर वापस अपने गांव लौटे। प्रोफेसर साहब को बुलंदशहर में गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम की इस धारा में कूदकर कर मुनि देव जी फिर पीछे नहीं हटे। सजा काटने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहन रख लिया। 1942 के अंतिम दिनों में एक दिन मुरादाबाद स्टेशन पर एक पुलिस वाले ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा मैं मोहन हूं। उनकी थैली की तलाशी लिए जाने पर उसमें से पोस्ट और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकरण में मुनिदेव को एक वर्ष की कठोर कारावास[1] 50 अर्थ दंड की सजा 23 जनवरी 1943 को सुनाई गई। 1948 में मुनि देव मुरादाबाद जिला परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और निरंतर 1962 तक इस पद पर रहे। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उनको 1955 में इटली में हुई विश्व लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में रोम (इटली) भेजा। 1968 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उन्हें उत्तर प्रदेश कृषि समाज के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होने 'सामुदायिक विकास परिचय' नाम की पुस्तक भी लिखी।[14]

जैनुद्दीन

जैनुद्दीन, निवासी मुगलपुरा, नई सड़क मुरादाबाद, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति दमनकारी और शोषण की नीति से आहत थे। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी के सिद्धांतों तथा आजादी के वातावरण से मिली। अमरोहा गेट ब्रज रतन लाइब्रेरी से आगे भूरे खां की गली में स्वतंत्रता सेनानी जुगल किशोर शर्मा के होटल में, जिसमें इफ्तेखार हुसैन फरीदी, प्रोफेसर रामशरण, दाऊ दयाल खन्ना मीटिंग करते थे, पुलिस को खबर मिलने पर होटल सील करके सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार

कर लिया गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों के साथ जगह–जगह सभाएं कीं तथा आम जनता को आंदोलन में भाग लेने के लिए जागरूक किया। वह पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं जैसे दाऊ दयाल खन्ना, मोहम्मद इब्राहिम, राम गुलाम, रामशरण दास, हरिदत्त, मोहम्मद मुमताज, महेश पाठक, प्यारेलाल, रतनलाल, राधेलाल आदि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव गांव जाकर जनसंपर्क करके कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जागरूक किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय जो साथी ब्रिटिश सरकार के द्वारा मारे गए थे तथा जो साथी फरार थे उनके परिवारों की हर जरूरत संबंधी सामान पहुंचाने, रहने की व्यवस्था करने व उनका भरण पोषण करना अपना हमेशा कर्तव्य समझा। उन्हें 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र प्रदान किया गया।[15]

जुगल किशोर शर्मा

जुगल किशोर शर्मा का जन्म तंबोली मोहल्ले के बलदेव प्रसाद शर्मा के घर हुआ था। 1930 में पुलिस के जुल्मों को देखते हुए अपना छोटा सा व्यवसाय दाल का खोमचा पान दरीबा निकट हनुमान मंदिर पर लगाते थे। वहीं से लगभग हर आंदोलन 1930, 31,32 में भाग लिया। 1940 में अमरोहा गेट पर ब्रज रतन लाइब्रेरी से आगे, भूरे खां की गली में एक होटल खोला था। 1941, 1943 व 1944 में जेल की यात्राएं कीं और न्यायालय द्वारा इनको 14 कोड़ों की सजा दी गई। इसी से प्रेरित होकर उनके दो भाई रूप किशोर उर्फ गुटरक, नवल किशोर शर्मा ने भी दो–दो बार जेल यात्रा की, जिनके नाम कंपनी बाग मुरादाबाद में शहीद स्मारक पर अंकित हैं। 1942 में मुरादाबाद में पूर्ण हड़ताल रही। ब्रज रतन लाइब्रेरी से आगे गली में होटल में तमाम आंदोलनकारी खाना खाते थे। मुखबिर द्वारा सूचना देने पर होटल को 1944 में पुलिस ने सील कर दिया। जेल में राम शरण, दाऊ दयाल खन्ना, रामगुलाम, शिव स्वरूप सिंह, मुनि देव त्यागी, अनूप सिंह, जोधा सिंह, ख्यालीराम शास्त्री, भगवत शरण, अब्दुल सलाम, हिकमत उल्लाह, इफ्तिखार हुसैन, फरीदी साथ रहे तथा जेलों के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अनशन आदि करते थे। 18 अक्टूबर 1930 को धारा 147, 332 के अंतर्गत चार–चार माह कठोर कारावास और[1] 50 जुर्माना न देने पर 6 सप्ताह का कठोर कारावास हुआ। 31 मार्च 1931 को जेल से मुक्त हुए। 25 मार्च 1943 को धारा 39 की 6 डी आई आर के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और[1] 50 जुर्माना न देने पर एक माह का और कठोर कारावास मिला। 11 जनवरी 1944 को जेल से मुक्त हुए तथा न्यायालय द्वारा 14 कोड़ों की सजा दी गई। 23 अप्रैल 1941 यू /एस 34/38 डी आई आर के अंतर्गत 1 वर्ष की सजा तथा[1] 50 जुर्माना हुआ और 25 जुलाई 1941 को चुनार जेल में तबादला हो गया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1930 को भी 6 माह की सजा हुई थी। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त शहर जिला व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इनका सम्मान किया।[16]

ओम प्रकाश गोविल

ओम प्रकाश गोविल मुरादाबाद के चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों में थे। उनके पिता श्री छदम्मी लाल ग्राम व पोस्ट पवाशा, तहसील संभल (तत्कालीन जिला मुरादाबाद) के निवासी थे। पिता का देहांत, ओमप्रकाश गोविंल के बचपन में ही हो गया था। पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी माताजी पर आ गई। छात्र जीवन में ही गांधी जी, नेहरु जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सक्रिय क्रांतिकारी होने के कारण पकड़े जाने पर 25 जनवरी 1941 को 1 साल के सख्त कारावास में 250 रुपए का जुर्माना और छः माह की सजा हुई। 17 फरवरी 1941 को उन्हें फैजाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं से अपनी सजा पूरी कर रिहा हुए। 10 अगस्त 1942 को उन्हें फिर एक वर्ष जेल की सजा हुई। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते समय उन्होंने समाज सुधार के कार्य भी किए, जैसे छुआ छूत का भेद मिटाना, जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, ग्राम के परेशान व्यक्तियों की हर प्रकार से सहायता करना। 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इंदिरा गांधी ने उनको ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया।[17]

मास्टर राम कुमार

''हिंदुस्तान में रहकर हिंदी की उपेक्षा मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।'' स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर रामकुमार ने ये शब्द उस दौर में कहे थे, जब सरकारी कामकाज के अलावा स्कूलों में भी अंग्रेजी और उर्दू का ही इस्तेमाल किया जाता था और हिंदी के शिक्षक ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। अपने अध्यापकीय अनुभव से उन्होंने हिंदी वर्णमाला की एक पुस्तक तैयार की जो सरल सुबोध होने के अलावा हर गरीब आदमी की पहुंच के अंदर थी। प्रकाशकों ने पुस्तक को जब छापने से इनकार कर दिया तो निराश न होकर उन्होंने उसे खुद ही प्रकाशित कर वितरित किया। एक पाई मूल्य की इस बेहद लोकप्रिय पुस्तिका का नाम था 'हिंदी बोध पुस्तिका' और कालांतर में जो 'रामकुमार के कायदे' के नाम से प्रचलित हुई ।[18]

8 मार्च 1891 में महानगर के बनवारी लाल कोठीवाल के पुत्र मास्टर रामकुमार का हिंदी प्रेम उन्हें देश प्रेम की दिशा में ले गया और 1920 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के बाद 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पकड़े गए और 6 महीने का कठोर कारावास हुआ। 1937 में आजादी रिपोर्ट पढ़ने, 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 10 माह का कठोर कारावास और 1942 में एक जलसे में आजादी की घोषणा करने पर कठोर कारावास के दंड भुगतने पड़े। जेल में अधिकांश समय अपनी बैरक के कैदियों को व्यायाम, योग सिखाने एवं निरक्षर कैदियों को पढ़ने में बिताते थे। खाली समय में लेखन कार्य करते थे। उनके जिन नेताओं से संपर्क रहे, उनमें प्रमुख रूप से सभी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, हाफिज इब्राहिम, अजीत प्रसाद जैन, रफी अहमद किदवई, के.डी. मालवीय, महावीर त्यागी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री बलदेव सिंह आर्य, के.डी. पालीवाल, जगमोहन सिंह नेगी, गोविंद सहाय तथा आचार्य नरेंद्र देव थे।[19]

हाफिज अब्दुल कदीर

हाफिज अब्दुल कदीर का जन्म अब्दुल रहमान के घर, कटार शहीद, नई आबादी, मुरादाबाद में 1907 में हुआ। हाफिज अब्दुल को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी के सिद्धांतों एवं आजादी की लड़ाई को देख कर मिली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6–6 माह के लिए तीन बार जेल गए। 17 अक्टूबर 1930 से 6 मार्च 1931 तक जेल में रहे। 17 अक्टूबर 1930 से 24 अक्टूबर 1930 तक मुरादाबाद जेल से बिजनौर स्थानांतरित हुए। 2 जनवरी 1932 से 15 जून 1932 तक फिरोजपुर जेल में रहे। सन 1988 में ये इस संसार से विदा हो गए।[20]

मोहम्मद नौशे

मोहम्मद नौशे, पुत्र फजल हुसैन शाह, निवासी सराय किशन लाल नफीस वर्किंग प्रेस, मुरादाबाद का देहांत 22 मई 1983 को हुआ। 1920 से 1923 के आंदोलन तथा 1930, 1931 व 1933 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लखनऊ के आंदोलन में भी भाग लिया, जिसमें अंग्रेज आर्मी के कई जवानों पर पत्थर फेंक कर घायल कर दिया था। उसी में वह गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अगस्त 1930 से 20 जनवरी 1931 तक कठोर कारावास की सजा हुई। उनको आटा चक्की चलाने की सजा दी गई। चक्की न चलने पर 10–10 बेंत रोज सजा के रूप में मिलने थे। चक्की का पाट गिरने तथा टूट जाने पर 6 माह से एक वर्ष की काल कोठरी की कठोर सजा का दंड मिला। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर काल कोठरी की सजा बढ़ा दी गई। उन्हें आईपीसी की धारा 45 के तहत दिनांक 2 जनवरी 1932 से 25 जनवरी 25 जून 1932 तक सजा सुनाई गई।[21]

सुखलाल आजाद

चंदौसी निवासी स्वर्गीय सुखलाल आजाद अपने साथियों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते हुए पूर्व में गांधी जी की भावनाओं से प्रेरित होकर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता के लिए जगह–जगह आंदोलन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनको एक साल का कठोर कारावास मिला। इनको बिजनौर जेल में भी रहना पड़ा। चौरी चौरा कांड, स्वराज्य दल की स्थापना, साइमन कमीशन का बहिष्कार, सांप्रदायिक निर्णय, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का निर्माण आदि में भाग लिया। जनता ने तभी उनके नाम के साथ आजाद लगा दिया और पूरा नाम सुखलाल आजाद हो गया। आजाद ने वॉटर टैक्स का भी विरोध किया, जिसमें वह जेल भी गए। उन्होंने तन मन धन से लोगों की सहायता की। यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार तक पर ध्यान नहीं दिया। 30 अगस्त 1970 में, अपनी पत्नी, चार पुत्रियों एवं एक ढाई साल का पुत्र छोड़कर इस संसार से विदा हो गए।[22]

निष्कर्ष

आजादी के आन्दोलन में मुरादाबाद जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी सक्रिय भूमिका का अध्ययन न केवल वर्तमान अपितु भावी पीढ़ियों को भी अपने देश की गरिमा और स्वतंत्रता तथा जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।

संदर्भः–

1. मुरादाबाद दर्शन, 1993–1994 प्रधान संपादक, जहांगीर अहमद
2. संस्कार दीपिका (1992) मुरादाबाद नगर विशेषांक
3. संस्कार दीपिका, वही
4. संस्कार दीपिका, वही
5. ब्रज रतन लाइब्रेरी, अमरोहा गेट, मुरादाबाद
6. अजय अनुपम (2021) भारत के इतिहास में मुरादाबाद का स्थान, विनसर पब्लिशिंग देहरादून
7. तोमर, सिंह, निवेदिता (2023) मुरादाबाद डिविजनल गजेटियर खंड 1 प्रकाशक स्मार्ट सिटी (नगर निगम) जनपद मुरादाबाद
8. अजय अनुपम (2021), वही
9. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, प्रधान संपादक, ख्यालीराम शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकाशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मुरादाबाद।
10. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, वही
11. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, वही
12. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, वही
13. मुरादाबाद के सैनिक ,संक्षिप्त परिचय (1970) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित
14. मुरादाबाद के सैनिक, संक्षिप्त परिचय (1970), वही
15. संस्कार दीपिका, वही
16. ब्रज रतन लाइब्रेरी अमरोहा गेट, मुरादाबाद
17. अजय अनुपम (2021), वही

18. मुरादाबाद दर्शन (1993–94), प्रधान संपादक, जहांगीर अहमद
19. मुरादाबाद दर्शन (1993–94), वही
20. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, प्रधान संपादक, ख्यालीराम शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकाशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मुरादाबाद।
21. भारत की आजादी में मुरादाबाद जनपद के देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, वही
22. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली